

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड
(आप.प्रक.क्र. :- 124 / 2016)
(संस्थित दिनांक :- 17 / 03 / 16)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मौ

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. दलवीर सिंह पुत्र अतिबल सिंह यादव, उम्र 40 वर्ष,
निवासी :- पुराना हटवारा मौ, थाना-मौ, जिला :- भिण्ड (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक :- 09 / 08 / 2017 को घोषित)

01. आरोपी दलवीर सिंह पर धारा :- 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 05 / 01 / 2016 को दोपहर लगभग 11:10 बजे वार्ड क्रमांक 08 झण्डू मौहल्ला मौ सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-11 बी (I) दिनांक : 22 / 11 / 1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे की धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 05 / 01 / 2016 को थाना मौ के प्रधान आरक्षक अमर सिंह को कस्बा गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति वार्ड क्रमांक 08 झण्डू मौहल्ला मौ में छुरी लिये घूम रहा है। मुखबिर की सूचना की तश्दीक हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचा, तो एक व्यक्ति घूमता हुआ दिखा जो, पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे हमराह आरक्षक की मदद से हाथ में छुरी लिये पकड़ा। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम दलवीर सिंह पुत्र अतिबल सिंह यादव उम्र 40 वर्ष, निवासी :- पुराना हटवारा मौ का होना बताया। आरोपी से उक्त आयुध रखने वावत् लाईसेंस चाहे जाने पर, उसने ना होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् आरोपी के कब्जे से अवैध छुरी साक्षीगण के समक्ष जब्त कर जब्ती पत्रक बनाया गया तथा आरोपी दलवीर को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात् मय माल-मुल्लिम थाना वापस आकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 04 / 2016 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान मंगल सिंह

एवं आरक्षक विनोद कुमार के कथन लेखबद्ध किये गये। तत्पश्चात् विवेचना पूर्णकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त दलवीर के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप निर्मित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपी दलवीर ने दिनांक :- 05/01/2016 को दोपहर लगभग 11:10 बजे वार्ड क्रमांक 08 झण्डू मौहल्ला मौ सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।बी (I) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे की धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी?

02. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष

विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01

07. अभियोजन साक्षी प्रधान आरक्षक अमर सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 05/01/2016 को पुलिस थाना मौ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह इलाका गश्त हेतु आरक्षक विनोद के साथ गया था। साक्षी आगे कहता है कि कस्बा गश्त के दौरान उसे मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति झण्डू मौहल्ला मौ में अपराध करने की नियत से छुरी लेकर घूम रहा है। मुखबिर की सूचना की तश्दीक हेतु वह लोग मोटर साईकिल से मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचे, वहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेरकर पकड़ा। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी के हाथ में छुरा था, इस वावत् लाईसेंस चाहा तो ना होना बताया। आरोपी से उसका नाम एवं पता पूछने पर उसने अपना नाम दलवीर सिंह पुत्र अतिबल सिंह होना बताया। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी का कृत्य धारा 25 बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आने पर उसके द्वारा आरोपी से मौके पर साक्षीगण के समक्ष छुरी जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा आरोपी दलवीर को गिरफ्तार कर

गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् मय माल आरोपी को थाना वापस लाकर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 04/2016 अन्तर्गत धारा 25 बी आयुध अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मौ द्वारा लेखबद्ध की गई थी। रवानगी एवं वापसी रोजनामचा सान्हा की सत्यप्रति प्र.पी.04 एवं प्र.पी.05 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 05/01/2016 को साक्षी मंगल एवं विनोद के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। न्यायालय में प्रस्तुत छुरा, वही छुरा है, जो उसके द्वारा आरोपी से घटनास्थल पर जब्त किया गया था, छुरा आर्टिकल ए-01 है, उस पर लपेटी हुई जब्ती चिट के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

08. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में अमर सिंह अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि वह शाम 08:00 बजे थाने से गश्त के लिए विनोद के साथ निकला था और ऐसा नहीं हुआ था कि वह विनोद के साथ रात्रि दस बजे थाने से निकला हो। जबकि आरक्षक विनोद अ.सा.02 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि उसकी कस्बा गश्त की ड्यूटी रात्रि आठ-बजे से बारह बजे तक थी, लेकिन वह अपनी कस्बा गश्त की ड्यूटी में रात्रि आठ से दस बजे तक नहीं गया था, क्योंकि दीवान जी अर्थात् प्रधान आरक्षक अमर सिंह अ.सा.03 उस समय व्यस्त थे। तत्पश्चात् साक्षी विनोद अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह रात्रि आठ बजे से दस बजे तक थाने पर ही दीवान जी के साथ था और कस्बा गश्त हेतु अमर सिंह दीवान जी अ.सा.03 के साथ 22:23 अर्थात् 10:23 बजे रवाना हुआ था। इस प्रकार आरोपित घटना के दिन अमर सिंह अ.सा.03 एवं विनोद अ.सा.02 थाने से कस्बा गश्त हेतु रात्रि आठ बजे रवाना हुये थे अथवा 10:23 बजे, इस वावत् विनोद अ.सा.02 एवं अमर सिंह अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में अमर सिंह अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर जब जब्ती चिट बनाई गई थी उस समय आरोपित अपराध के संबंध में कोई अपराध क्रमांक थाने पर दर्ज नहीं हुआ था। साक्षी आगे कहता है कि वह यह नहीं बता सकता कि थाने पर अपराध पंजीबद्ध हुये बिना उसने छुरा आर्टिकल ए-01 के साथ संलग्न जब्ती चिट पर घटनास्थल पर ही हस्तगत प्रकरण का अपराध क्रमांक 04/2016 कैसे लिख लिया। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में अमर सिंह अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने साक्षीगण के कथन अपराध क्रमांक 04/2016 में घटनास्थल पर ही लेखबद्ध कर लिये थे और इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि उक्त साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये जाते समय थाने पर आरोपी के विरुद्ध कोई एफआईआर लेखबद्ध नहीं हुई थी। उल्लेखनीय है कि थाने एक विशिष्ट अपराध क्रमांक 04/2016 पंजीबद्ध होने के पूर्व वही अपराध क्रमांक कथित घटनास्थल पर जब्ती चिट पर लेखबद्ध किया जाना और प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध हुये बिना, अपराध पंजीबद्ध हुये बिना, विवेचना

प्रधान आरक्षक अमर सिंह अ.सा.03 को प्राप्त होने के पूर्व कथित घटनास्थल पर साक्षीगण के कथन लेखबद्ध कर लिया जाना अभियोजन कथा की सत्यता को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है।

10. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में अमर सिंह अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने जब्ती पत्रक के कॉलम नम्बर 13 में थाने की नमूना सील नहीं लगाई है। जब्ती पत्रक प्र.पी.01 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उस पर कोई नमूना सील अंकित नहीं है। उल्लेखनीय यह भी है कि अमर सिंह अ.सा.03 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि उसने आरोपित घटना में कथित रूप से आरोपी से जब्तशुदा आयुध को सीलबंद किया था। इस प्रकार अमर सिंह अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में अपराध क्रमांक 04/16 में जब्तशुदा आयुध को सीलबंद किये जाने एवं नमूना सील अंकित ना किये जाने के तथ्यों के अभाव के कारण, इस वावत् अभियोजन कथा अत्यंत संदेहास्पद प्रतीत होती है।

11. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में अमर सिंह अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि मंगल कुशवाह अ.सा.01 ने थाने पर आकर रिपोर्ट की थी, कि उसका आरोपी दलवीर से झगड़ा हो गया है। जबकि साक्षी मंगल अ.सा.01 ने उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में यह दर्शित किया है कि वह आरोपी दलवीर को जानता है, आरोपी कस्बा मौ स्थित पुराना हटवारा का रहने वाला है। वह कस्बा मौ स्थित झण्डू मौहल्ला का रहने वाला है। साक्षी आगे कहता है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 22/09/2016 के इसी वर्ष सर्दियों के मौसम की रात्रि लगभग 08:00 बजे की है। उस समय वह अपने घर पर था। उस समय उसका बच्चा पवन घर के बाहर खड़ा था, तो आरोपी उसे चाकू दिखाकर मारने की धमकी दे रहा था, जब वह शोर-गुल सुनकर बाहर निकलकर आया तो आरोपी ने उससे कहा कि साले तुझे भी मार डालूंगा। जब उसकी पत्नी निकलकर आई तो आरोपी बोला कि साले तेरी गांड में लठिया डाल दूंगा। तब मौहल्ला वालों ने आकर बीच-बचाव किया। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में की थी। पुलिस ने उसके सामने आरोपी से चाकू जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.01 बनाया था तथा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र. पी.02 बनाया था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसका बयान लिया था। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी मंगल सिंह अ.सा.01 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक : 05/01/2016 की रात्रि लगभग 11:00 बजे की है एवं उस समय आरोपी लोहे की छुरी लेकर उसके घर के सामने घूम रहा था। साक्षी मंगल सिंह अ.सा.01 ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसी समय पुलिस वाले उसके घर के सामने गश्त करते हुए आ गये, जिन्होंने आरोपी को पकड़कर उसके हाथ से एक लोहे का धारदार छुरा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण फरियादी मंगल सिंह अ.सा.01 द्वारा थाने पर आरोपी दलवीर के संबंध में सूचना देने पर पंजीबद्ध किया गया था अथवा प्रधान आरक्षक अमर सिंह अ.सा.03 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर उनके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध पंजीबद्ध

किया गया था, इस वावत् मंगल सिंह अ.सा.01 एवं अमर सिंह अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को पूर्णतः संदेहास्पद बनाता है।

12. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में मंगल सिंह अ.सा.01 का कहना है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर पुलिस ने उसका अंगूठा थाने पर लगवाया था। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी के पास से छुरा थाने पर उसकी पेंट की दाहिनी जेब से निकाला गया था। साक्षी का यह भी कहना है कि जब्ती पत्रक प्र.पी.01 पर पुलिस आरक्षक द्वारा भी थाने पर ही हस्ताक्षर किये गये थे, जबकि अमर सिंह अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह कहना है कि आरोपी से छुरा जब्ती एवं जब्ती पत्रक बनाये जाने की कार्यवाही घटनास्थल पर की गई थी। इस प्रकार उक्त तथ्यों के संबंध में साक्षी मंगल सिंह अ.सा.01 एवं अमर सिंह अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

13. इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी दलवीर ने दिनांक :- 05/01/2016 को दोपहर लगभग 11:10 बजे वार्ड क्रमांक 08 झण्डू मौहल्ला मौ सार्वजनिक स्थान पर, आयुध अधिनियम की धारा 04 के तहत म.प्र.राज्य की अधिसूचना क्रमांक 6312-6552-।बी(1) दिनांक : 22/11/1974 के उल्लंघन में एक निषेधित आकार का लोहे की धारदार छुरी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी।

अंतिम निष्कर्ष

14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी दलवीर के विरुद्ध धारा 25 ((1-B)(b)) आयुध अधिनियम के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी दलवीर को आयुध अधिनियम की धारा 25 ((1-B)(b)) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

15. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

16. प्रकरण में जब्तशुदा लोहे की छुरी मूल्यहीन होने के कारण नष्ट कर व्ययनित किया जाये। अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के व्ययन संबंधी आदेश का पालन किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

